संख्या-36/2015/345/71-1-2015-जी-380/2014

प्रेषक

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 04 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु मानक मद-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन में पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015/393, दिनाँक 13-02-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, कानपुर में मानक मद-01-वेतन में रू0 23,52,000/- (रू0 तेईस लाख बावन हजार मात्र), मानक मद-03-मंहगाई भत्ता में रू0 1,75,70,000/- (रू0 एक करोड़ पचहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) तथा मानक मद-06-अन्य भत्ते में रू0 25,00,000/- (रू0 पच्चीस लाख मात्र) कुल रू0 2,24,22,000/- (रू0 दो करोड़ चौबीस लाख बाइस हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु मानक मद-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के लिए रू0 2,24,22,000/- (रू0 दो करोड़ चौबीस लाख बाइस हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-317/दस-2015, दिनाँक 26 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 36/2015/345(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in